रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1035] नई दिल्ली, बुधवार, मई 30, 2012/ज्येष्ठ 9, 1934
No. 1035] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 30, 2012/JYAISTHA 9, 1934

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 मई, 2012

का.आ. 1251(अ).—यद्यपि केन्द्र सरकार पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग मदों में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 (जिसे इसके बाद जेपीएम अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 के प्रावधानों के अधीन जारी दिनांक 17 जनवरी, 2012 (जिसे इसके पश्चात् प्रधान आदेश कहा जाएगा) के आदेश सं. का.आ. 88(अ) पटसन वर्ष 2011-12 के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में 100 प्रतिशत के लिए खाद्यान्न और चीनी के लिए आरक्षित है ।

तथा यद्यपि जेपीएम अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधानों के अधीन केन्द्र सरकार, यदि यह राय रखती हो कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में अनिवार्य अथवा लाभप्रद हो, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को किन्ही मदों अथवा मदों की श्रेणी के लिए आपूर्ति करने अथवा वितरण करने से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन निर्मित आदेश के प्रचालन से छूट दे सकती है ।

यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार ने सिफारिश की है कि आरएमएस 2012-13 के दौरान उत्तर प्रदेश में गेहूँ की खरीद के लिए अतिरिक्त एचडीपीई/पीपी बोरों की 20,000 गांठों के उपयोग के लिए तत्काल छूट दी जाए ।

तथा, यद्यपि केन्द्र सरकार ने पटसन आयुक्त, कोलकाता के परामर्श से रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2012-13 के लिए खाद्यान्न की पैकिंग के लिए बी. ट्विल पटसन बोरों की मांग तथा तदनुरूपी आपूर्ति क्षमता और सरकारी खरीद एजेन्सियों को आपूर्ति के संबंध में पटसन उद्योग के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है ।

तथा, यद्यपि फसल का मौसम पूर्व सही अनुमान न लगाए जाने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य में पटसन बोरों की आपूर्ति में कमी, उनके द्वारा देरी से मांग पत्र प्रस्तुत करने, इतनी कम अवधि में इतनी भारी संख्या में अतिरिक्त पटसन बोरों के उत्पादन एवं आपूर्ति में पटसन उद्योग की असमर्थता एवं साथ ही अन्य राज्यों में भी तंगी के कारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामना की गई समस्याओं को देखते हुए,

इसलिए, केन्द्र सरकार का मत है कि अब जनहित में, और जेपीएम अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा करना आवश्यक अथवा लाभकारी है कि एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य एजेंसी को मुख्य आदेश (और इस प्रकार पटसन के अलावा अन्य सामग्री में खाद्यानों की पैकेजिंग के लिए अनुमति देते हुए) के प्रचालन से, रबी विपणन मौसम 2012-13 के लिए 20,000 गांठ की कुल मात्रा तक छूट दी जाए । प्रस्तावित छूट चालू पटसन वर्ष के लिए राज्य एजेंसी द्वारा की गई खाद्यानों की कुल खरीद के 20 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत होगी । यह इस शर्त के अध्यधीन है कि एचडीपीई/पीपी बोरों का उपयोग केवल अत्यावश्यकता की स्थिति में तथा चालू आरएमएस के अंत में किया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एचडीपीई और पटसन बोरों के अंत: शेष का ब्यौरा केन्द्र सरकार को दिया जाना होगा । यह छूट 30 जून, 2012 तक खरीदे गए खाद्यानों की पैकिंग के लिए वैध होगा ।

[फा. सं. 9/12/2012-पटसन]

सुनयना तोमर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 30th May, 2012

S.O. 1251(E).—Whereas the Central Government *vide* Order No. S.O. 88(E), dated 17th January, 2012 (hereinafter referred to as the Principal Order) issued under the provision of Section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (hereinafter referred to as the JPM Act) reserved foodgrain and sugar for 100 per cent packaging in jute packaging material for the jute year 2011-12.

And, whereas, under the provisions of Section 16(1) of the JPM Act, the Central Government, if it is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, may exempt any person or class of persons, supplying or distributing any commodity or class of commodities, from the operation of an order made under Section 3 of the Act.

Whereas the Government of Uttar Pradesh has requested that immediate relaxation for use of additional 20,000 bales of HDPE/PP Bags for the wheat procurement in Uttar Pradesh during RMS 2012-13 may be granted.

And, whereas, the Central Government has reviewed the demand of B.Twill jute bags for packing foodgrains for Rabi Marketing Season (RMS) 2012-13 and the corresponding supply capacity and performance of jute industry in respect of supply to the Government procurement agencies in consultation with Jute Commissioner, Kolkata.

And, whereas, in view of the problems faced by the Government of Uttar Pradesh due to lack of correct pre-season estimation of crop resulting in shortage of supply of jute bags within the State of Uttar Pradesh, late indent placed by them, inability of the jute industry to produce and supply so much number of additional jute bags at a short notice and simultaneous tight situation in other states also.

Now, therefore, the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, and in exercise of the powers under the provision of Section 16(1) of the JPM Act, hereby exempt the Uttar Pradesh State Agencies from the operation of the Principal Order (and thus allowing for packaging foodgrains in material other than jute) upto the extent of a total quantity of additional 20,000 bales for the Rabi Marketing Season 2012-13. The proposed relaxation would be within the limit of 20% of the total procurements of foodgrain made by the State agencies for the current jute year. It is subject to the condition that the HDPE/PP Bags would be used only incase of emergency and at the end of the current RMS, the closing balance of HDPE and Jute Bags would need to be furnished by the Government of Uttar Pradesh to the Central Government.

The exemption would be valid for procurement and packing of foodgrain made upto 30th June, 2012.

[F. No. 9/12/2012-Jute]

SUNAINA TOMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.